

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(गत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अनुबन्धकर सिद्दीख पी0, गा0 प्र0 रो0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 25.2.2025

विषय- राज्य योजनान्तर्गत "गत्स्य विपणन योजना" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 24.13 लाख (चौबीस लाख तेरह हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय के साथ योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "गत्स्य विपणन योजना" के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 24.13 लाख (चौबीस लाख तेरह हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है- (रु0 में)

क्रम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
1	शालीमार, धुर्वा के हाईजेनिक मछली बाजार में नए बाहरदीवारी का निर्माण तथा पार्किंग टार्गिल्स का कार्य।	24,13,000/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-2, राँची द्वारा दिनांक 17.02.2024 को तकनीकी स्वीकृति।	राँची
कुल योग:		24,13,000/-		

3. चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्यादेश सं0 07 रा0 (वि0) दिनांक 19.06.2024 द्वारा "गत्स्य विपणन योजना" अंतर्गत बजट शीर्ष-2405-मछली पालन में उपबंधित राशि मो0 140.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख) रु0 मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा --

(राशि लाख रु0 में)

गाँव सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (गत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

क्र0	मद एवं विपन्न कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	संशोधित बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-गत्स्य विपणन योजना-विरतुत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050010162010545	50.00	0.00	0.00	0.00
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-उप शीर्ष-62-गत्स्य विपणन योजना-विरतुत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079662010645	60.00	40.00	24.13	15.87
कुल योग :		110.00	40.00	24.13	15.87

कुल मो0 24.13 लाख (चौबीस लाख तेरह हजार) रु0 मात्र।

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में ही की जाएगी।
6. (क) इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कंडिका '2' में अंकित वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-02, राँची के कार्यपालक अभियंता को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
- (ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।
7. निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।
8. स्वीकृत योजना को इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप कराने के साथ-साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा निर्माण कार्य का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेगे।
10. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।
11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0-01/आर0-04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।
14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
15. वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-2405 एवं मुख्य शीर्ष-4405 मिलाकर कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 350.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 193.68209 लाख रु0 मात्र का व्यय हुआ है।
16. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

मान्य
सचिव

18. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाइट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वसभाजन

(अनुवक्ता सिद्धी पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 55RPA/14 राँची, दिनांक 25.2.25

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 55RPA/14 राँची, दिनांक 25.2.25

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव